

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनू (राज.)

(आयकर कार्यालय के पास, मण्डावा मोड़, झुंझुनू फोन नं. 01592-232303, ई-मेल-dcf.jhun.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ ()उवसंझुं / सर्वे / 2025-26 / 8113

दिनांक :- 05/12/2025

NRSS XXXVI Transmission Limited,
A-26/3, Mohan Co-operative Industrial Estate,
Near Sarita Vihar,
Metro Pillar No. 71, New Delhi.

विषय:- Diversion of 13.015 ha. Of forest land in favour of NRSS XXXVI Transmission Limited. New Delhi for construction of 400 KV D/C babai (RRPVNL) to Bhiwani (PGCIL) Transmission line in jhunjhunu District. (Proposal no, FP/RJ/TRANS/28622/2017)
संदर्भ:- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं० 8बी/राज०/04/11/2018/एफसी दिनांक 31.05.24 एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ14(Tras/28622) 2017/ FCA / PCCF/413 दिनांक 13.02.2025, इस कार्यालय का पत्रांक 1375 दिनांक 09.03.2025, 6081 दिनांक 08.09.2025 व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्रांक 1274 दिनांक 18.08.2025, पत्रांक 1927 दिनांक 31.10.2025, पत्रांक 2976 28.11.2025 के क्रम में।

महोदय

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं० 8बी/राज०/04/11/2018/एफसी दिनांक 31.05.24 एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 14 (Tras) 2017/ FCA / PCCF/1274 दिनांक 18.08.2025 के क्रम में न्यूनतम मजदूरी दर परिवर्तित होकर रु 285/- प्रतिदिन होने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं बौनी प्रजाति वृक्षारोपण की वर्तमान दरों के अनुसार आवश्यक राशि एवं इस संबंध में पूर्व में जमा राशि के अन्तर की राशि कैम्पा फण्ड में जमा करवाई जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1375 दिनांक 09.03.2025 मांग पत्र जारी किया गया था।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्रांक 1274 दिनांक 18.08.2025, पत्रांक 1927 दिनांक 31.10.2025, पत्रांक 2976 दिनांक 28.11.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त प्रकरण में मजदूरी दर रु 285/- की जगह रु 259/- से ही चार्ज होगा, जिसकी पालना में संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वृक्षारोपण योजना	क्षेत्रफल हैक्टर में	वर्तमान दर प्रति हैक्टर (मजदूरी दर रु 259 प्रतिदिन के अनुसार)	वर्तमान दर अनुसार राशि	पूर्व में जमा राशि	अन्तर राशि
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण CA-DFL	26.030x1000/700 = 37.20	263000	9783600	5820300	3963300
2	बौने/औषधीय प्रजाति वृक्षारोपण	13.015	654021	8512083	8332685	179398
योग राशि				18295683	14152985	4142698

अतः उपर्युक्तानुसार अन्तर राशि रु 4142698/- कैम्पा फण्ड में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति इस कार्यालय को भिजवया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
उप वन संरक्षक
05 झुंझुनू

क्रमांक :- एफ()उवसंझु/सर्वे/2025-26/8114-15

दिनांक :- 05/11/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर ।
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।

उप वन संरक्षक
अ. झुन्झुनू